

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN NO: U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ-226 001

संख्या : 1033-कार्य / चौदह-पाकालि / 2020-138-के / 2011

दिनांक: अगस्त 24, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल /
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
मेरठ / वाराणसी / आगरा / लखनऊ
एवं केस्को, कानपुर।

विषय:- विभिन्न डिस्कॉमों में जमा योजना के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों हेतु प्राक्कलन बनाये जाने में समरूपता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदया / महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय में आ रही विभिन्न विषयताओं के समाधान हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवकमित करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी सभी वितरण निगमों के अन्तर्गत कराये जाने वाले यूटीलिटी शिपिंग कार्य / जमा योजना कार्यों के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

अ- यूटीलिटी शिपिंग कार्य / जमा योजना कार्य सम्बन्धित डिस्कॉम्स द्वारा स्वयं कराये जाने की स्थिति में

1. सम्बन्धित कार्य का प्राक्कलन सर्वे के अनुसार बनाया जायेगा।
2. प्राक्कलन में सामग्रियों की दर उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित Cost Data Book के अनुसार समाहित की जायेगी।
3. उक्त प्राक्कलित राशि पर जी०एस०टी०, लेबर सेस एवं कार्य कराये जाने का व्यय इत्यादि नियमानुसार अध्यारोपित किया जायेगा।
4. परिवेक्षणीय शुल्क नियमानुसार विभिन्न विभागों के संदर्भ में निर्गत आदेशों के अनुसार लगाया जायेगा।
5. जमा कार्य के प्राक्कलन की सकल लागत में किसी सामग्री अथवा सम्पत्ति के नाशरक्षण / अवशिष्ट मूल्य को समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् संबंधित संस्था / निगम / विभाग से कार्य की सम्पूर्ण लागत ही प्राप्त की जायेगी।
6. यूटीलिटी शिपिंग के कार्य में उतारी / वापस सामग्री विद्युत वितरण निगमों के पास ही रहेगी। परन्तु यदि यूटीलिटी शिपिंग के कार्य में उतारी / वापस सामग्री संबंधित जमाकर्ता जिसके लिये कार्य किया जा रहा हो, से पूर्व में प्राप्त वित्तीय सहायता से निर्मित की गयी थी तो इस सामग्री को ह्रासित मूल्य (Depreciated Value) पर संबंधित संस्था को संयुक्त सत्यापन (सामग्री एवं मूल्य) के उपरान्त वापस किया जायेगा। इसका समायोजन प्राक्कलन की लागत से नहीं किया जायेगा।
7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निष्पादित प्राक्कलन (As Executed Estimate) अनिवार्य रूप से बनाया जाय तथा निष्पादित प्राक्कलन में सभी प्रकार के व्ययों एवं करो आदि को सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तर 6 के सन्दर्भ में यदि सामग्री संस्था को वापस की जाती है तो उसे भी निष्पादित प्राक्कलन के सलंगनक के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। निष्पादित प्राक्कलन में वृद्धि होने पर सम्बन्धित संस्था / निगम / विभाग से अन्तर की धनराशि नियमानुसार प्राप्त की जायेगी एवं निष्पादित प्राक्कलन में कमी होने पर सम्बन्धित संस्था / निगम / विभाग को अन्तर की धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

ब- यूटिलिटी शिपिंग कार्य/जमा योजना कार्य वाह्य संस्था/विभाग/निगम द्वारा स्वयं किये/कराये जाने की स्थिति में

1. डिस्कॉम द्वारा सम्बन्धित कार्य का प्राक्कलन सर्वे के अनुसार बनाया जायेगा।
2. प्राक्कलन में सामग्रियों की दर उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित Cost Data Book के अनुसार समाहित की जायेगी।
3. उक्त प्राक्कलित राशि पर जी०एस०टी०, लेबर सेस एवं कार्य कराये जाने का व्यय इत्यादि नियमानुसार अध्यारोपित किया जायेगा।
4. प्राक्कलित राशि (समस्त कर सहित) पर परिवेक्षणीय शुल्क नियमानुसार विभिन्न विभागों के संदर्भ में निर्गत आदेशों के अनुसार लगाया जायेगा।
5. परिवेक्षणीय शुल्क के साथ प्राक्कलित राशि पर भारत पूर्ण जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार वाह्य संस्था/निगम/विभाग द्वारा सम्बन्धित डिस्कॉम्स को करना होगा।
6. कार्य में सृजित सम्पत्ति का स्वामित्व संबंधित डिस्कॉम्स का ही होगा।
7. कार्य के सम्बन्ध में सॉल्वेज वैल्यू का समायोजन संबंधित संस्था/निगम/विभाग को प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही उतारी गयी सामग्री उन्हें वापस की जायेगी, अर्थात् वाह्य संस्था/विभाग/निगम को उतारी गई सामग्री सम्बन्धित डिस्कॉम में जमा करनी होगी। परन्तु यदि यूटिलिटी शिपिंग के कार्य में उतारी/वापस सामग्री संबंधित जमाकर्ता जिसके द्वारा कार्य कराया जा रहा हो, से पूर्व में प्राप्त वित्तीय सहायता से निर्मित की गयी थी तो इस सामग्री को ह्रासित मूल्य (Depreciated Value) पर संबंधित संस्था को संयुक्त सत्यापन (सामग्री एवं मूल्य) के उपरान्त वापस किया जायेगा। इसका समायोजन प्राक्कलन की लागत से नहीं किया जायेगा।
8. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निष्पादित प्राक्कलन As Executed Estimate अनिवार्य रूप से बनाया जाय तथा निष्पादित प्राक्कलन में सभी प्रकार के व्ययों एवं करो आदि को सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तर -7 के सन्दर्भ में यदि सामग्री संस्था को वापस की जाती है तो उसे भी निष्पादित प्राक्कलन के सलंगनक के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। निष्पादित प्राक्कलन में वृद्धि होने पर सम्बन्धित संस्था/निगम/विभाग से परिवेक्षणीय शुल्क एवं पूर्ण प्राक्कलन पर जीएसटी के अन्तर की धनराशि नियमानुसार प्राप्त की जायेगी एवं निष्पादित प्राक्कलन में कमी होने पर सम्बन्धित संस्था/निगम/विभाग को परिवेक्षणीय शुल्क एवं पूर्ण प्राक्कलन पर जीएसटी के अन्तर की धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

स- उक्त के अतिरिक्त कारपोरेशन की निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कृपया अपने नियन्त्रणाधीन इकाईयों को उक्त दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यदि कहीं पर उदासीनता एवं शिथिलता संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(एम० देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1033(i)-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-138-के/2011 तददिनांक 24.8.2020.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) (वित्त/तकनीकी, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं मुख्य अभियंता, केरको, कानपुर।

6. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता, जानपद, पारेषण-द्वितीय, 9वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), समस्त डिस्काम।
9. समस्त अधीक्षण अभियंता (वितरण), समस्त डिस्काम।
10. अधीक्षण अभियंता, जानपद, मुख्यालय, 9वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियंता (वेब), कक्ष सं० 407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

(एम० खन्ना)
प्रबन्ध निदेशक